№ 000720

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

वर्ष 2001-2002.

संख्या 111.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि डा० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बारह मास जून वर्ष दो हजार एक को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

19.6.01

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

बि०ग०मु० (निबन्धन) । 1—1,000—12-8-2000—

डॉ अम्बेदकर चिन्तन सामाजिक शोध संस्थान
(डी०ए०टी०एस०आर०आई)
का
संशोधित स्मृति-पत्र

1. इस संस्थान का नाम : डॉ अम्बेदकर चिन्तन सामाजिक शोध संस्थान होगा।
2. निबंधित कार्यालय- लालापुर कुदरा कैमूर (भभुआ)
3. प्रशा[illegible]कार्यालय- जनता कालेज वॉर्ड नं०23 ईदगाह महल्ला डिहरी,
4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी- डी० ए० टी० एस० आर० आई।
5. संस्थान का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत।
6. अंग्रेजी नाम डॉ अम्बेदकर थाउट ऑफ सोशल रिसर्च इन्स्टीच्यूट।
7. उद्देश्य जन अनुग्रह से लोक हित।
8. (क) समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सभी तरह के उपेक्षित व्यक्तियों के समुचित विकास की व्यवस्था करना।
   कि खासकर कला के विकास की व्यवस्था करना।
   (ख) वर्ष में दो बार संस्कृतिक कार्य-क्रम का आयोजन एवं ग्रामिण कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण देना।
   (ग) प्रौढ़ शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, एवं समाज को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान एवं अन्य प्रकार की शिक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देना।
   (घ) महिलाओं को विभिन्न उद्योग मे प्रशिक्षण दिलवाकर लाभान्वित करना जैसे सिलाई,कढ़ाई,बुनाई, हस्तकला,कशिदाकारी, [illegible],पेंटिंग बनाना तथा फल संरक्षण आदि।
   (ङ) जन मानस की सदप्रवृतियों को प्रोत्साहन देने वाली उल्लेखनीय निष्ठापूर्ण मानव हित संबंधीत कार्यों को बढ़ावा देने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले पत्रिकाओं का प्रकाशन ।
8. (अ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं को रियायती दर पर विक्रय हेतु पहल करना।
   (आ) महापुरूषों के जिवन चरित्र का प्रचार-प्रसार करना।
   (इ) उत्तम खाद एवं उत्तम बीज की-उपलब्धता में किसानों को प्रशिक्षण कि व्यवस्था करना तथा बायोगैस संयंत्र की स्थानपना करना।
   (उ) ग्रामिण श्रमिकों को श्रम अधिनियमों से परिचित कराना।
9. (क) पशु-चिकित्सा के लिए टीकाकरण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
   (ख) ग्रामीणों के सर्वागीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
   (ग) स्पृश्यता उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन,जाति प्रथा एवं सती प्रथा जैसी बुराइयों के उन्मूलन में सहयोग करना।
   (घ) [illegible] जागृति हेतु शिविर सम्मेलन, प्रर्दशनी या जनसंपर्क अभियान का आयोजन करना।
10. (क) [illegible] आदर्श संस्था की स्थापना जिसमें संस्कृति दर्शन एवं विश्व शांति आदि जैसे तथ्यों का समावेश करना।
   (ख) ग्रामीण एवं शहरी लोगों के विकास हेतु लघु उद्योग,कुटीर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग,गृह उद्योग, [illegible], आदि की स्थापना करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
   ग्रामोद्योग उपलब्ध करा कर युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध हेतु स्थापना करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
   (ग) पंचायतीराज व्यवस्था एवं नगरपालिका अधिनियम को लोकप्रिय तथा प्रभावी बनाने हेतु कार्य करना।
   (घ) पुर्ण नशाबंदी अभियान कार्य-क्रम के अंतर्गत नशा मे लिप्त मजदूर एवं जनसाधारणको इससे होने वाली हानी से परचित कराना तथा शराब कि आदत को त्यागने हेतु साहित्य प्रकाशीत एवं इससे बचने के लिये उपायों का प्रचार-प्रसार करना।
   (ङ) सेवित एवं वनवासियों तथा आदिवासियों की समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए [illegible] सहयोग करना।
11. (क) समाज मे पिछड़ी जातियों दलितो, महिलाओं अल्पसंख्यकों अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जनजाति के कल्याण के लिये योजनाओं का संचालन करना।
   (ख) [illegible] नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
   (ग) गाँवों कि हरीयाली एवं पुरा तत्व विशिष्ठता का सर्वेक्षण एवं सवर्धन करना।
   (घ) जलउद्योग एवं आंतरिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य क्रमो का क्रियान्वयन करना।

[illegible]edkar Chintan Samajik Sodh S[illegible]
Kudra
Bihar

12.(क) आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोपैथिक, इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक एक्यू प्रेसर मैग्नोथेरेपी,फिजियोथेरेपी, योग चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करना तथा जड़ीबुटियों का संरक्षण एवं इसके विकास के साथ-साथ शोधकार्य एवं प्रशिक्षण तथा इसकी खेति को बढ़ावा देना।

13.(क) असहाय विधवा एवं परित्यक्ता आदि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में कार्य करना एवं उन्हे कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना ।

(ख) वृद्ध व्यक्तीयो के कल्याण के लिये कल्याणकारीय कार्य-कर्मो :- जैसे पुनर्वास चिकित्सा केन्द्र आदि का संचालन करना ।

14 (क) प्रदुषित पर्यावरण के रोकथाम हेतु ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य करना । धुआँ रहित चुल्हों का उपलब्ध कराना

(ख) त्वरित जलापुर्तियोजना के अंतर्गत शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल विद्युतोत्पादि व्यवस्था करना।

(ग) [illegible]-मूत्र सहित कुड़ा कचरा एवं प्लास्टीक को नष्ट कर उसके जरिए से गैर परम्परागत एवं बायोगैस संयंत्र का विकास करना।

15.(क) जल छाजन शहरी एंव ग्रामिण स्वच्छता कार्यक्रम (मार्ग/मुहल्ला/सड़क/नाली इत्यादि का संचालन करना) ।

(ख) उत्तम स्वास्थय हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना । कुष्ठ निवारण पोलियो उन्मुलन, मलेरीया उन्मुलन तथा अन्य घातक बीमारीयों के उनमुलन का योगदान करना साथही आपातकालीन सेवा हेतु एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराना ।

(ग) जीवजंतुओं के रक्षार्थ दवाइयों का वितरण तथा टिकाकरण के कार्यक्रम का संचालन करना इसके अलावा पारामेडिकल प्रशिक्षण करन एंव गोसाला आदि का निर्माण करना।

(घ) आधुनिक कम्प्यूटर प्राली को विकशित करने कि दिशा में कार्य करना तथा प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करना।

16. उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करना एवं उनमे नियम कानून के प्रति जाकरूकता पैदा करना।

17. ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्रों में बालश्रम के विरूध लोगों को जागरूक करना तथा बाल मजदुरों के लिये शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना एवं उनके लिये पुनरवास कि व्यवस्था करना। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का संचालन करना।

18.(क) जनजाति भाषा के विकास हेतु पहल करना एवं उनकी सास्कृतिक पहचान को बचाए रखने हेतु प्रयास करना।

(ख) आर्थिक उद्देश्य विकास हेतु वायो इन्धन (वायो डिजल) जटरोबा आदि तैलियपेंड़ो को लगाने हेतु स्थानिय लोगों को जागरूक करना। उपयुक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त उन सभी कार्यो को करना जो ग्रानीण एवं शहरी की दशा में संस्थाओं ट्रस्टो से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यो की स्थापना करना एवं सफल बनाना।

19. विद्यालय स्तर से स्नोतकोत्तर स्तर तक अपेक्षापूर्ण एवं पत्रकारीता द्वारा शिक्षा तथा शिक्षक सुविधाओं को उपलब्ध करना के लिए बचनबद्ध होना ।

20. शिक्षा के किसी भी स्तर पर सरकारी अर्धसरकारी स्वक्षाशित निजि कल्याण से संस्थाओ द्वारा आयोजित भिन्न-भिन्न प्रतियोगिता परिक्षाओं तथा प्रबंध और विकासके भिन्न-भिन्न शखाओं जैसे व्यापार प्रबंधन, [illegible] सेवा के प्रबंध, ओद्योगिक प्रबंध,श्रमिक कानून,श्रमिक कल्याण,ग्रामिण विकास प्रशिक्षण और विकास कास्ट एकाउन्टेसी,होटल प्रबंध,वितिय संबंधी प्रबंध कार्यालय प्रबंध,भौतकी प्रबंध,भितरी अलंकार,कम्प्यूटर शिक्षा प्रबंध,शिक्षण,प्रशिक्षण और दुसरे संबंध क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष या पत्रचार द्वारा शिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना।

21. डी०ए०टी०एस०आर०आई० तथा इसके विसय वस्तु के साथ निरंतर विकास के लिये पेसेवर विद्वान व्यक्तियों और समाजीक पेसेवर संगठन के साथ स्थानिय,क्षत्रिय,राजकिय,राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रिय स्तर पर सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं एवं निजि संगठनो के साथ शिक्षण प्रशिक्षण पत्रचार कोचिंग सलाह संबंध आदि के लिए संबंध स्थापित करना या सहयोग करने के लिये बच्चनबध होना।

22. जन कल्याण हेतु भारत सरकार बिहार सरकार एंव अन्य देशी-विदेशी सामाजिक संस्थाओं ट्रेस्टों व्यक्तीयों से दान,चंदा,उपहार आदी से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यो की स्थापना करना एवं सफल बनाना। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का संचालन करना।

Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan
Kudra
Bihar

23. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य:-
संस्था के सभि कार्यों का संचालन निश्चित करना एवं प्रस्ताव पारित करना संस्था का चल-अचल संपत्ति का उत्तर
दायी होगा। उद्देश्य की पुर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्यक्रम तथा आयोजन का आयोजन करना है, प्रमाण-पत्र जारी करना

24. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-
संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना । समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना
अध्यक्ष के राय से अन्य विषय पर विचार करना।

25. बैठक कि सूचना :-
कार्यकारिणी की बैठक की सूचना 7 दिन पुर्व दी जायेगी एवं आवश्यक बैठक की सूचना 48घंटे पुर्व दि जायेगी ।

26. कानूनी कार्यवाही :-
संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगी ।

27. विधि का अंकेक्षण :
यदि निबंधन महानिरीक्षण चाहे तो किसी भी संस्था का अंकेक्षण किसी प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड से करा सकते हैं, जिसका खर्च संस्था को ही वहन करना होगा।

28. संस्था का विघटन :
संस्था के विघटन के पुर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर यह विघटित होगा एवं आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमती से सामान्य उद्देश्य वाली दुसरी संस्था या सरकार को सारी सम्पति दे दी जायेगी।

29. अन्यायः
संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध नियमावली में उपलब्ध नही हो पाया है वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह इस नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

B Pandey
अध्यक्ष

श्यामा
कोषाध्यक्ष

अश्विनी कुमार
सचिव

Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan
Kudra
Bihar

Dr. Ambedkar Chintan Samajik Sodh Sansthan
Kudra
Bihar

(27)

डॉ0 अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान की संशोधित

नियमावली

1. संस्थान का नाम :- डॉ0 अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान ।

2. संस्थान का निबंधित कार्यालय लालापुर पुरवा कैमूर (भभुआ)

3. प्रशासनीक कार्यालय मदन कानन वॉड नं0 23 ईदगाह महल्ला बिहरी

4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में डी0ए0टी0एस0आर0आई0

5. संस्था का कार्यक्षेत्र संम्पूर्ण भारत

6. संस्थान का उद्देश्य जन अनुग्रह से लोकहित ।

7. संस्थान की परिभाषा (क) संस्थान से अभिप्राय है।

डॉ0 अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

(ख) समिति से अभिप्राय है- संस्थान की कार्यकारीणी समिती।

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है - अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव,उपसचिव कोसाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है-एक जनवरी से 31दिसम्बर तक

(ङ) एक्ट से अभिप्राय है - संस्थान अधिनियम 21,1860

8. सदस्यता :-

कोई भि स्त्री एवं पुरुष जो भारत का नगरिक होगा-जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी तथा संस्थान के नियमो एवं उद्देश्यों का पालन करेगा संस्थान का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने हेतु निहीत प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा। जिसकी स्वीकृती या अस्वीकृती कार्यकारीणी समिति द्वारा प्रदान कि जायेगी तथा प्रत्येक सदस्य को 5।रुपये का प्रवेश शुल्क एवं 21रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

9. सदस्यता दो प्रकार कि होगी :-

(क) आजिवन सदस्यता - जो आजिवन सदस्य बनना चाहेगा उसे 501/ रुपये का प्रवेश शुल्क अदा करना पड़ेगा।

(ख) कियाशिल सदस्यता - जो सदस्य प्रवेश शुल्क,वार्षिक प्रवेश शुल्क अदा करते है ये वे कियाशिल सदस्य होगे।

10. सदस्यता से वंचित करना :-

(क) स्वयं त्याग प्रत्र देने पर मृत्यू होने पर, पागल होने पर या दिवालिया होने पर ।

(ख) संस्थान के नियम एवं उद्देश्यों का उल्लंघन करने पर ।

(ग) सदस्यता शुल्क समय पर नहीं देने पर ।

(घ) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

(ङ) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठकों अनुपस्थित होने पर।

11. संस्थान के द्वारा निर्देशित किये गये सदस्य की संख्या का कार्यकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्देशित किये गये सदस्य को भविष्य में पुनः सदस्यता की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रमाण पत्र देने पर दोबारा सदस्यता दी जा सकती है। दोबारा सदस्यता पाने के लिये उनको उचित जुर्माना आदि भरा जाना होगा।

12. संस्था में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

अध्यक्ष	-एक	-उपाध्यक्ष	-एक
सचिव	-एक	-उपसचिव	-एक
कोषाध्यक्ष	-एक	-सदस्य	-15

13. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

(क) कार्यकारिणी समिति कम से कम ग्यारह सदस्यों की होगी।

(ख) समिति की पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा।

(ग) समिति का कार्यकाल 5साल का होगा ।

(घ) अगर समिति में कोइ में कोइ पद रिक्त हो तो शेष अवधी के लिये उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुना करा लेना होगा।

14. संस्था की रूप रेखा :-

(क) राष्ट्रिये कार्यकारीणी समिति।

(ख) प्रांतिये कार्यकरीणी समिति।

(ग) जिला कार्यकारीणी समिति।

(घ) प्रखण्ड कार्यकारीणी समिति।

(ङ) ग्राम पंचायत कार्यकारीणी समिति ।

15. कार्यकारीणीयो के अधिकरा एवं कर्तब्य :

अध्यक्षः-

(क) संस्था की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करना ।

(ख) बैठक बोलाने हेतु सचिव को निर्देश देना।

(ग) अध्यक्ष का कार्य काल पॉच साल का होगा।

(घ) आवश्यक्ता पड़ने पर अपने निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय लेना ।

(ङ) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना एवं जिला प्रखण्ड,पंचायत के इकाइयों का गठन कार्यकारीणी के राय से करना।

उपाध्यक्ष :-

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थीती की बैठक के अध्यक्षता करना ।

(ख) अध्यक्ष के अनुपस्थीती मे सारे कार्यों का संचालन करना।

सचिव:-

(क) बैठक का आयोजन करना ।

(ख) बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना व अध्यक्ष का हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

(ग) कार्यालय की देख-रेख कार्यवाही पंजी एवं कागजातो को सुरक्षीत रखना।

(घ) संस्थान के उद्देश्यों की पुर्ति के लिये सभि परियारा करना, संस्थान के पुर्व अनुमति के बिना 500/- रुपया तक व्यय करना।

(ङ) संस्था का पत्रचार एवं आय - व्यय, रख - रखाव और निगरानि करना तथा समय पर अंकेक्षण करना।

(च) सचिव का कार्यकाल 5साल का होगा एवं जिला प्रखण्ड पंचायत की ईकाइयों का देख-रेख करना ।

(छ) अधिक आय-व्यय पर नियंत्रण रखना।

(ज) संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पुर्ति हेतु प्रधान कार्यालय का स्थानानंतरण राज्य के अंदर या बाहर देश के किसी भी [illegible] करना तथा उसकी सुचना निबंधन कार्यालय को 15 दिनों के भितर देना होगा। साथ हि शाखा या उपशाखा को राज्य के अंदर या बाहर कहीं भि स्थापित करना।

उप सचिवः-

(क) सचिव के अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यो को करना।

(ख) सचिव को सहयोग देना तथा संस्था के कार्यो में सहयोग करना।

कोषा ध्यक्षः-

(क) संस्था के सभी कोशो को बैंक में जमा करना तथा निकालना एवं उनका पुरा-पुरा हिंसाब किताब रखना। कोषा यक्ष का कार्यकाल पॉच साल का होगा ।

(ख) आय-व्यय को सचिव के द्वारा बैठक में रखना ।

(ग) सदस्यता शुल्क तथा चंदा प्राप्त कर रशीद देना । एक बही में अंकित करना। संस्था के कोष का अध्यक्ष एवं सचिव और कोषा अध्यक्ष के किन्हीं दो के हस्ताक्षर से बैंक में जमा करना एवं राशी की निकाशी करना होगा।

Chintan Samajik Sodh Sansthan

14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर का अंतिम सप्ताह होगा।

15. संस्था का वित्तीय साधन: (आय स्रोत) : संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत इस प्रकार होंगें: सदस्यों द्वारा चन्दा, सदस्यता शुल्क, केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनुदान तथा अन्य विदेशी संस्थायें जैसे यूनीसेफ आदि से सहयोग तथा अनुदान, एवं आस्थावान व्यक्तियों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा दान आदि, तथा समय-समय पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निष्पादन से आय प्राप्त करना इत्यादि।

16. संस्था के कोरम : कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

17. संस्था का पंजीकरण : इकाई संस्था का राज्य संस्था संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत की शाखाँए समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।

18. पंजीकरण का निरक्षण : संस्था की सभी निबंधीत कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमती से सदस्य पंजी,लेखा पंजी,कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरिक्षण कर सकते है।

19. संस्था के संविधान मे परिवर्तन / संसोधन : संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यकारणी समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सुचना रजीस्टर ऑफ सोसाइटीलज को एक्ट 21,1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।

20. संस्था का कोष : संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 पतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जामा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जामा करेगें।

21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार : किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जायेगा।

22. संस्था की बैठक : संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सचिव के राय से वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी । तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

Samajik Seva Sansthan

23. कार्यकारीणी समिति के अधीकार एवं कार्य:-
संस्था के सभि कार्यो का संचालन विनियमित करना एवं प्रस्ताव पारीत करना संस्था का चल-अचल संपती का उत्तर दायी होगा। उद्देश्य की पुर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्यक्रमों तथा उपसमिति का गठन करना है, प्रमाण-पत्र जारी करना

24. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-
संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना । समिति के पदाधिकारीयो एवं सदस्यों का निर्वाचन करना अध्यक्ष के राय से अन्य विषय पर विचार करना।

25. बैठक कि सुचना :-
कार्यकारीणी की बैठक की सुचना 7 दिन पुर्व दी जायेगी एवं आवश्यक बैठक की सुचना 48घंटे पुर्व दि जायेगी ।

26. कानूनी कार्यवाही :-
संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगी ।

27. विधि का अंकेक्षण :
यदि निबंधन महानिरीक्षण चाहे तो किसी भी संस्था का अंकेक्षण किसी प्राधिकृत चारटर्ड एकाउन्टेड से करा सकते है, जिसका खर्च संस्था को ही वहन करना होगा।

28. संस्था का विघटन :
संस्था के विघटन के पुर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर यह विघटित होगा एवं आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से समान्य उद्देश्य वाली दुसरी संस्था या सरकार को सारी सम्पति दे दी जयेगी।

29. अन्यायः
संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध नियमावली में उपलब्ध नही हो पाया है वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21.1860 के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह इस नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष